: UPRN01-003233-2026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–1

कानपुर देहात

जमानत प्रार्थना पत्र सं0– 1233/2026

बृजेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र कप्तान सिंह निवासी ग्राम काकलापुर मंगलपुर जिला कानपुर देहात

------**अभियुक्त।**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....**विपक्षी**

मु0 अ 0 सं0–112/2026
धारा– 105/45 बी0 एन 0 एस 0
थाना– मंगलपुर जिला कानपुर देहात।

दिनांक – 15.6.2026

प्रार्थी/अभियुक्त बृजेन्द्र प्रताप सिंह की तरफ से यह जमानत प्रार्थना पत्र मु0 अ 0 सं0–112/2026 धारा– 105/45 बी0 एन 0 एस 0 थाना– मंगलपुर जिला कानपुर देहात में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में कुछ इस प्रकार है कि वादी मुकदमा अजय सिंह सेंगर के घर के पड़ोस में रहने वाले बृजेन्द्र सिंह के दरवाजे सरकारी नल लगा है। वहीं पर उनकी भैंस बांधी जाती है। दिनांक 3.5.2026 की शाम करीब 5 बजे मेरे भाई बलवीर सिंह सरकारी नल पर पानी भरने गए थे। नल के पास में ही बांधी गयी उनकी भैंस मेरे भाई को सींग मारने के लिए बढ़ी तभी मेरे भाई अलग हट गए, इस पर मेरे भाई ने उपरोक्त बृजेन्द्र सिंह की मां उमा देवी से कहा कि यहां सभी लोग पानी भरने आते–जाते है। यहां से भैंस हटाकर अलग बांध लो। इस पर उमा देवी झगड़ा करने लगी व अपने लड़के बृजेन्द्र सिंह को खेत में बुलवाया और मारपीट के लिए उकसा दिया तभी बृजेन्द्र सिंह डण्डा लेकर आया और मेरे भाई के साथ डण्डो से बुरी तरह से मारपीट करने लगा जिससे मेरा भाई बलवीर गम्भीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में हम लोग अपने भाई को इलाज के लिए जिला अस्पताल चिचौली जिला औरेया ले गए। जहां दिनांक 3.5.2026 की रात करीब 11–30 बजे अस्पताल में मौजूद डाक्टर ने मेरे भाई को मृत घोषित कर दिया।

अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। प्रकरण की घटना दिनांक 3.5.2026 की सांय 5–00 बजे की की होना कही गयी है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 8.5.2026 को 15–28 पी0 एम 0 पर लिखाई गयी है। पांच दिन के विलम्ब के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। भैंस के मारने से चोटें आई हैं। लाठी के मारने से मृतक की मृत्यु नहीं हो सकती थी। प्रार्थी/अभियुक्त को गांव की रंजिश से झूठा फंसाया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। अतः उक्त आधारों पर जमानत की याचना की गयी।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) व वादी की तरफ से विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि मृतक बलवीर सिंह की मृत्यु प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा फावड़े के बेट से मारने से पसलियां टूट गयी थी व सिर व गर्दन मे आई चोटों के कारण मृत्यु होना पी0 एम 0 रिपोर्ट में दर्याया गया है। भैंस द्वारा मारने की बात मात्र अपने बचाव में कही गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी।

अभियुक्त के उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र पर मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा सम्बन्धित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्को को विस्तार पूर्वक सुना तथा अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र तथा संलग्न अन्य समस्त प्रपत्रों का सम्यक् परिशीलन किया।

प्रस्तुत मामले की चोट रिपोर्ट केस डायरी के साथ संलग्न है। जिसमे मृतक की चोटों की डिटेल डाक्टर द्वारा अंकित की गयी हे। जिसमें प्रथम CONTUSION OF SIZE 6 CM.X 4CM. PRESENT ON RT. TEMPORAL REION OF SKULL

2- ABRASON OF SIZE 2 CM.X1.5 CM PRESENT ON RT. SIDE OF NECK

3- CONTUSION OF SIZE 8 CMX 5 CM. PRESENT ON LT. HYPOCHONDRAIAC RIGION. अंकित की गयी है। इसके अतिरिक्त डाक्टर द्वारा RT. SIDE MULTIPLE RIBS FRACTURE पाया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है। इसके अतिरिक्त मृतक के शरीर पर गम्भीर चोटें भी डाक्टर द्वारा अवलोकित की गयी हैं। अतः मामला गम्भीर प्रकृति का है। अपराध की प्रकृति व मृतक के शरीर पर आई चोटों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत का कोई आधार नहीं है। जमानत प्रार्थना निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त बृजेन्द्र प्रताप सिंह की ओर से मु0 अ 0 सं0-112/2026 धारा-105/45 बी0 एन 0 एस 0 थाना-मंगलपुर जिला कानपुर देहात में प्रस्तुत उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(रजत सिन्हा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-1
कानपुर देहात।
आई 0 डी0 यू0 पी0-6042